न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या:-263/2023 (GCMS No. 2023/161) दायरा दिंनाक 22.09.2023

1. कमलजीतसिह पुत्र श्री जसवन्तसिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. सुखजीतकौर पत्नी भुपेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. सुखवीरकौर पत्नी सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एस जी आर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. सुमन पत्नी सुभाष जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. बलकारसिह पुत्र श्री दलीपसिह जाति जटसिख निवासी चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
4. महेन्द्रकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
5. राकेशकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
6. रामकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
7. छिन्द्रकौर पुत्री सुच्चासिह
8. बलवन्तकौर पुत्री सुच्चासिह
9. बलविन्द्रकौर पुत्री सुच्चासिह
10. बलवीरकौर पुत्री सुच्चासिह
11. स्वर्णकौर पुत्री सुच्चासिह
12. जंगीरकौर पुत्री सुच्चासिह
13. जीतकौर पुत्री सुच्चासिह
14. प्रकाश कौर पुत्री सुच्चासिह
15. मुखत्यारसिह पुत्र सुच्चासिह
16. मंगलसिह पुत्र सुच्चासिह

अकवाम जटसिख निवासीयान चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

17. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा ... पीलीबंगा।
18. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा श्रीगंगानगर।
19. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा संघर।
20. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

......लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक वादीगण
2. श्री सुभाष देहडू अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1, 2 4 ता 6
3. श्री अविनाश महर्षि प्रतिवादी नं0 18
4. शेष प्रतिवादीगण बाद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः– 24.06.2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अन्तर्गत धारा 88,53,209 आरटीए के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के नाम से सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' खाता न. 7/21 के पत्थर न. 35/301 (32) के किला न. 7/2 में 0.089 हैक, 8 ता 10 में 0.759 हैक कुल 0.848 हैक अनकमाण्ड बारानी भुमि में वादी न. 1 के नाम 283/848 हिस्सा, वादी न. 2 के नाम 283/848 हिस्सा व वादी न. 3 के नाम 141/424 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है। इसके अलावा वादीगण के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 11 एसजीआर के खाता न. 148/9 के पत्थर न. 32/303(11) के किला न. 1 ता 3/0.759 हैक, 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हैक कुल 2.783 हैक बारानी, प0न0 33/302 (1) में कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24,25 = 2.530 है0 बारानी खातेदारी भूमि कुल 5.313 है0 बारानी भुमि खातेदारी ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है। इसके अलावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 11 के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 12 एसजीआर के खाता न. 63/36 के पत्थर न. 34/302 (5) के किला न. 1–2/0.506 हैक, 9 ता 12/1.012 हैक कुल 1.518 हैक अनकमाण्ड व पत्थर न. 35/302(4) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हैक कुल 7.843 हैक भुमि में वादी न. 1 के नाम 295/7843 हिस्सा व वादी न. 2 के नाम 295/7843 हिस्सा व वादी न. 3 के नाम 295/7843 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 के नाम 8/31 हिस्सा, प्रतिवादी न. 2 के नाम 8/31 हिस्सा व प्रतिवादी न. 3 के नाम 63/7843 हिस्सा व प्रतिवादी न. 4 के नाम 791/7843 हिस्सा व प्रतिवादी न. 5 के नाम 791/7843 हिस्सा व प्रतिवादी न. 6 के नाम 790/7843 हिस्सा व प्रतिवादी न. 7 ता 11 के नाम 475/7843 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2074 ता 77 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न पत्रावली हैं। उपरोक्त भूमि के अलावा वादीगण एंव प्रतिवादीगण नं0 4 ता 16 के नाम संयुक्त खाता में चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न. 58/49 के पत्थर न. 35/301 (32) के किला न. 11 ता 14/1.012 हैक, 16 ता 25/2.530 हैक कुल 3.542 हैक अनकमाण्ड बारानी भुमि में वादी न. 1 के नाम 295/3542 हिस्सा व वादी न. 2 के नाम 295/3542 हिस्सा व वादी न. 3 के नाम 295/3542 हिस्सा व प्रतिवादी न. 4 के नाम 295/1771 हिस्सा व प्रतिवादी न. 5 के नाम से 295/1771 हिस्सा व प्रतिवादी न. 6 के नाम 591/3542 हिस्सा व प्रतिवादी न. 7 के नाम [illegible] हिस्सा व प्रतिवादी न. 8 ता 12 के नाम 445/3542 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रतिवादी न. 13 ता 16 [illegible] 16/161 हिस्सा ब0हि0ब0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2073 ता 76 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है।

......लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तीनो चको का रकबा को वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 अपने कब्जा काश्त के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है। वादीगण वं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 द्वारा अपने-2 हिस्से की भूमि का घरेलू बंटवारा कर रास्ता व काश्त की सुविधा अनुसार कम व ज्यादा कर विभाजित कर रखा हैं एवं इसी कब्जा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 अपने कब्जाकाश्त के अनुसार ही प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 की कब्जा काश्त की भुमि निम्न प्रकार से है :-

(1) वादी न. 1 (कमलजीतसिह) के कब्जा काश्त का रकबा – चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न0 7 पत्थर न. 35/301 (32) के किला न. 7/2 में 0.089 हैक, 8 ता 10/0.759 हैक, एवं इसी चक के खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 11 ता 14/1.012 हैक, 18 ता 20/0.759 हैक कुल 2.619 हैक अ0क0बा0खातेदारी भूमि।

(2) वादी न. 2 (सुखजीतकौर) के कब्जा काश्त का रकबा–चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 2/0.127 हैक पासा पूर्व, 3–9–12–19–22/ 1.265 हैक कुल 1.392 हैक व पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 4–7–14–17–24/ 1.265 हैक कुल 2.657 हैक बारानी।

(3) वादी न. 3 (सुखवीर कौर) के कब्जा काश्त का रकबा– चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 5–6–15–16–25/1.265 हैक व पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 1/0.253 हैक, 2/0.126 है0 पासा पश्चिम, 10–11–20–21/1.012 हैक कुल 1.391 हैक कुल 2.656 हैक बारानी।

(4) प्रतिवादी न. 1 (प्रेमकुमार) के कब्जा काश्त का रकबा– चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 18 ता 25 के 2.024 हैक अनकमाण्ड।

(5) प्रतिवादी न. 2 (सुमन) के कब्जा काश्त का रकबा– चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 10 ता 17 के 2.024 हैक अनकमाण्ड।

(6) प्रतिवादी न. 4 ता 6 के कब्जा काश्त का रकबा– चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 पत्थर न. 34/302 (5) के किला न. 1,2, 9 ता 12/1.518 है0, प0न0 35/302 (4) कि0न0 1,2,3,8,9/1.265 है0 कुल 2.783 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि व इसके अलावा चक 23 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 16,17/0.506 है0, 22/ 0.095 है0 पासा पूर्व, 23,24,25/0.759 है0 कुल 1.360 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि कुल दोनो खातो में 4.143 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि ब0हि0ब0।

(7) प्रतिवादी न. 3, 7 ता 16 के कब्जा काश्त का रकबा – शेष चक 23 एलजीडब्ल्यू ए व चक 12 एसजीआर का रकबा है।

मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण के नाम दर्ज जैरवाद रकबा चक 12 एसजीआर में हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी नं0 4 ता 6 द्वारा काश्त किया जा रहा हैं इसी प्रकार चक 23 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 58 में प्रतिवादी नं0 4 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा को वादीगण द्वारा काश्त किया जा रहा है। इसलिये वादीगण द्वारा विभाजन में चक 12 एसजीआर का रकबा नही मांगा गया है जो कि विभाजन में प्रतिवादी नं0 4 ता 6 को मिला है। जैरप्रकरण रकबा साझा खाता होने से खातेदारान अधिक हो गये है व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के रकबा को रास्ता खाला की सुविधा उपलब्ध नही हो रही है वादीगण एवं प्रतिवादीगण को रास्ता खाला की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण अनेकों बार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

......लगातार 4 पर

वादीगण ने अपने कब्जा का"त के रकबा को प्रतिवादीगण से ज्यादा सुधार कर काबिल का"त बनाया है तथा वादीगण के कब्जा का"त के पैरा संख्या 3 में वर्णित रकबा पर वर्षो पूर्व हुए आपसी बटवारा से कब्जा प्राप्त का"त करते आ रहे है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की भुमि में गोबर की खाद डालकर उपजाउ बनाया है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त के रकबा में लाखो रूप्ये खर्च करके प्रतिवादीगण के रकबा से ज्यादा उपज वाला व कीमती बनाया है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम रकबा सांझे खाता में दर्ज होने से रकबा का संपरिवर्तन करवाने व इस रकबा पर सहकारी समिति व अन्य बैको से त्रण लेने में इस रकबा में हुऐ फसली उपज को समर्थन मुल्य पर सहकारी समिति व अन्य सरकारी खरीद केन्द्रो में बेचने में दिक्कत होती है। इसलिए भी वादीगण अपने रकबा का खाता विभाजन प्रतिवादी से अलग करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से जैरवाद रकबा का खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आज करवाते है कल करवाते है, करके टालमटोल करते रहे। दिनांक 14.08.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने का कहा तो वो स्पष्ट इन्कांर हो गये व धमकी दी की आप जाकर तहसील में अपना खाता विभाजन करवा ले वो तो कभी नही जावेगे। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण की इसी धमकी की वजह से ही यह दावा पेश करना पड रहा है। यही वाद उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार कर उपरोक्तानुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावें।

वाद रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 ता 6 की ओर से अभिभाषक द्वारा दिनांक 30.10.2023 को हाजिर आकर इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादी नं0 20 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी नं0 18 ने दिनांक 29.01.2024 को जबाबदावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली हैं। शेष प्रतिवादीगणबाद सूचना अनुपस्थित रहे। जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र एवं जबाबदावा प्रतिवादी नं0 18 के आधार पर तनकीयात निम्न प्रकार से कायम की गईः–

1. आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण जैरवाद रकबा चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' खाता न. 7/21 की 0.848 हैक0, चक 11 एसजीआर के खाता न. 148/9 की 5.313 है0, चक 12 एसजीआर के खाता न. 63/36 की 7.843 हैक0, चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न. 58/49 की 3.542 हैक0 भूमि के खातेदार कृषक है? .....वादीगण
2. आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा अनुसार जैरवाद रकबा का विभाजन कर वाद पत्र की मद सं0 5 में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं? .....वादीगण
3. आया कि जैरवाद रकबा बैंक के रहन हैं अतः बिना ऋण अदायगी वादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी नही हैं? .....प्रतिवादी नं0 18
4. अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:50 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायम होने पर वादीगण द्वारा दिनांक 02.02.2024 को उपस्थित आकर अपने वादपत्र को साबित करने हेतु शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर जिरह शून्य रही। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी नही कराने पर दिनांक 05.02.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दिये गये।

.....लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादपत्र स्वीकार कर खाता विभाजन की डिक्री जारी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 ता 6 द्वारा इसका समर्थन किया गया। प्रतिवादी नं0 18 ने ऋण अदायगी से पूर्व खाता विभाजन नही करने का निवदन किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 ता 6, 18 की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन, मनन एवं चिंतन के आधार पर तनकीवार विवेचना की गई जो कि निम्न प्रकार से हैं:–जिससे स्पष्ट हैं कि जैर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र के माध्यम से साबित किया है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इकबालदावा पेश कर वादी के समान वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया हैं। अतः हम वादपत्र वादी स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वादपत्र स्वीकार कर घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती हैं कि जैरवाद भूमि चक 14 एसटीबी खाता नं0 92 प0न0 25/321 (20) कि0न0 6/2, 7/1, 14 ता 25/2 = 3.315 है0 नहरी, प0न0 25/322 (21) कि0न0 8/2 ता 13 = 1.392 है0 नहरी मय रास्ता कुल 4.707 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैं:–

1. आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण जैरवाद रकबा चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' खाता न. 7/21 की 0.848 हैक0, चक 11 एसजीआर के खाता न. 148/9 की 5.313 है0, चक 12 एसजीआर के खाता न. 63/36 की 7.843 हैक0, चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न. 58/49 की 3.542 हैक0 भूमि के खातेदार कृषक है? .....वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। जिसे वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' खाता न. 7/21 व चक 11 एसजीआर के खाता न. 148/9 व चक 12 एसजीआर के खाता न. 63/36 व चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न. 58/49 पेश कर साबित किया हैं। अतः उक्त तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

2. आया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा अनुसार जैरवाद रकबा का विभाजन कर वाद पत्र की मद सं0 5 में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं? .....वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। जिसे वादीगण द्वारा अपने शपथ पत्र से साबित किया हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी इसका विरोध नही किया गया हैं। अतः उक्त तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

3. आया कि जैरवाद रकबा बैंक के रहन हैं अतः बिना ऋण अदायगी वादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी नही हैं? .....प्रतिवादी नं0 18

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 18 है। प्रतिवादी नं0 18 ने उक्त तनकी के समर्थन में ना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं ना ही कोई अपने कथन को साबित करने हेतु प्रतिवादी नं0 18 के ब्यान करवाये हैं। अतः उक्त तनकी विरूद्व प्रतिवादी नं0 18 निर्णित की जाती हैं।

.....लगातार 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ji Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचना पर हम वादपत्र वादीगण स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः वादपत्र वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि:–

(1) वादी न. 1 (कमलजीतसिह) चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न0 7 पत्थर न. 35/301 (32) के किला न. 7/2 में 0.089 हैक, 8 ता 10/0.759 हैक, एवं इसी चक के खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 11 ता 14/1.012 हैक, 18 ता 20/0.759 हैक कुल 2.619 हैक अ0क0बा0 खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(2) वादी न. 2 (सुखजीतकौर) चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 2/0.127 हैक पासा पूर्व, 3–9–12–19–22/1.265 हैक कुल 1.392 हैक व पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 4–7–14–17–24/ 1.265 हैक कुल 2.657 हैक बारानी खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(3) वादी न. 3 (सुखवीर कौर) चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 5–6–15–16–25/1.265 हैक व पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 1/0.253 हैक, 2/0.126 है0 पासा पश्चिम, 10–11–20–21/1.012 हैक कुल 1.391 हैक कुल 2.656 हैक बारानी खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(4) प्रतिवादी न. 1 (प्रेमकुमार) चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 18 ता 25 के 2.024 हैक अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(5) प्रतिवादी न. 2 (सुमन) चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 10 ता 17 के 2.024 हैक अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(6) प्रतिवादी न. 4 ता 6 चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 पत्थर न. 34/302 (5) के किला न. 1,2, 9 ता 12/1.518 है0, प0न0 35/302 (4) कि0न0 1,2,3,8,9/1.265 है0 कुल 2.783 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि व चक 23 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 16,17/0.506 है0, 22/ 0.095 है0 पासा पूर्व, 23,24,25/0.759 है0 कुल 1.360 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि कुल दोनो खातो में 4.143 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि के ब0हि0ब0 खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(7) प्रतिवादी न. 3, 7 ता 16 शेष रकबा चक 23 एलजीडब्ल्यू ए व चक 12 एसजीआर में हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में यथावत् रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:अन्तिम डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.)

–अनवान–

1. कमलजीतसिह पुत्र श्री जसवन्तसिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. सुखजीतकौर पत्नी भुपेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. सुखवीरकौर पत्नी सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी चक 12 एस जी आर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. सुमन पत्नी सुभाष जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. बलकारसिह पुत्र श्री दलीपसिह जाति जटसिख निवासी चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
4. महेन्द्रकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
5. राकेशकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
6. रामकुमार पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
7. छिन्द्रकौर पुत्री सुच्चासिह
8. बलवन्तकौर पुत्री सुच्चासिह
9. बलविन्द्रकौर पुत्री सुच्चासिह
10. बलवीरकौर पुत्री सुच्चासिह
11. स्वर्णकौर पुत्री सुच्चासिह
12. जंगीरकौर पुत्री सुच्चासिह
13. जीतकौर पुत्री सुच्चासिह
14. प्रकाश कौर पुत्री सुच्चासिह
15. मुखत्यारसिह पुत्र सुच्चासिह
16. मंगलसिह पुत्र सुच्चासिह

अकवाम जटसिख निवासीयान चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

17. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा हाउस रोड, पीलीबंगा।
18. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा श्रीगंगानगर।
19. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा संघर।
20. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। –प्रतिवादीगण

...........लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वादपत्र धारा 88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 263 वर्ष 2023 में यह मुकदमा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री राकेश सारस्वत, वकील प्रतिवादी नं0 1,2,4 ता 6 श्री सुभाष देहडू, वकील प्रतिवादी नं0 18 श्री अविनाश महर्षि हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

(1) वादी न. 1 (कमलजीतसिह) चक 23 एलजीडब्ल्यू 'ए' के खाता न0 7 पत्थर न. 35/301 (32) के किला न. 7/2 में 0.089 हैक, 8 ता 10/0.759 हैक, एवं इसी चक के खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 11 ता 14/1.012 हैक, 18 ता 20/0.759 हैक कुल 2.619 हैक अ0क0बा0 खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(2) वादी न. 2 (सुखजीतकौर) चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 2/0.127 हैक पासा पूर्व, 3–9–12–19–22/1.265 हैक कुल 1.392 हैक व पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 4–7–14–17–24/ 1.265 हैक कुल 2.657 हैक बारानी खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(3) वादी न. 3 (सुखवीर कौर) चक 11 एसजीआर के खाता नं0 148 पत्थर न. 33/302 (1) के किला न. 5–6–15–16–25/1.265 हैक व पत्थर न. 32/303 (11) के किला न. 1/0.253 हैक, 2/0.126 है0 पासा पश्चिम, 10–11–20–21/1.012 हैक कुल 1.391 हैक कुल 2.656 हैक बारानी खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(4) प्रतिवादी न. 1 (प्रेमकुमार) चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 18 ता 25 के 2.024 हैक अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(5) प्रतिवादी न. 2 (सुमन) चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 के पत्थर न. 35/302 (4) के किला न. 10 ता 17 के 2.024 हैक अनकमाण्ड खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(6) प्रतिवादी न. 4 ता 6 चक 12 एसजीआर खाता नं0 63 पत्थर न. 34/302 (5) के किला न. 1,2, 9 ता 12/1.518 है0, प0न0 35/302 (4) कि0न0 1,2,3,8,9/1.265 है0 कुल 2.783 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि व चक 23 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 58 प0न0 35/301 (32) कि0न0 16,17/0.506 है0, 22/ 0.095 है0 पासा पूर्व, 23,24,25/0.759 है0 कुल 1.360 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि कुल दोनो खातो में 4.143 है0 अ0क0बा0 खातेदारी भूमि के ब0हि0ब0 खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

(7) प्रतिवादी न. 3, 7 ता 16 शेष रकबा चक 23 एलजीडब्ल्यू ए व चक 12 एसजीआर में हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में यथावत् रहेगा।

नोज............×.......... मुबलिग..........×.......... बाबत..........×.......... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.........×..... ....फस्दो की पालना ....×.......... आज की तारीख से [illegible] वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.06.2024 को जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested